रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252489
CG-DL-E-29022024-252489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 136]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 147(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (कारपेंटर) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समेन काडर, सहायक उप निरीक्षक (कारपेंटर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है:

   (ख) "महानिदेशक" से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है:

(ग) **"शेप-एक"** ऐसे चिकित्सा प्रवर्ग को निर्दिष्ट करता है जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्ष 2008 के स्थायी आदेश संख्या 04 तारीख 15 दिसंबर, 2008 के अधीन तथा उसके महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी पश्चातवर्ती संशोधनों में यथाविनिर्दिष्ट है ।

2. उन शब्दो और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए है और परिभाषित नहीं किए गए है, वही अर्थ होंगे जो उनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में है ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम**.- पोषक प्रवर्ग में बल के प्रत्येक सदस्य को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा अवधि पूरी करने से पहले अर्हक प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य से किसी भी प्रोन्नति से पहले, उक्त अनुसूची के स्तंभ (11) में यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी ।

परंतु यदि महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से, कोई सदस्य प्रशिक्षण में जाने या अपेक्षित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, उसके प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रोन्नति प्राठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए बल के ऐसे सदस्य को प्रोन्नत कर सकेगा, जिसके न हो सकने पर उसे पूर्वत्तर रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

6. **ज्येष्ठता**.- ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

7. **निरर्हता.- वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. **भारत के अनागरिकों की अपात्रता**.- वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से विवर्जित नहीं किया जाएगा ।

9. **अधिवर्षिता**.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस मास में 60 वर्ष या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आयु पूरी करता/करती है, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा:

परंतु वह व्यक्ति की जिसकी जन्म तारीख मास की पहली तारीख को है वह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

10. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

11. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

12. **निर्वचन.-** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप निरीक्षक (कारपेंटर)	* 43(2024) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200/-92300/-रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4, (25500-81100 रुपए) में ऐसे हवलदार (कारपेंटर) जिन्होंने उस श्रेणी में 5	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –** (1.) उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; (2.) कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;	लागू नहीं होता ।

वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (i) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो; और (ii) चिकित्सा श्रेणी "शेप-I" में अभ्यर्थी हो; और अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(3.) द्वितीय कमान अधिकारी, या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; (4.) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सह -सदस्य; (5.) बल का एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड में पर्याप्त ज्ञान हो - सदस्य ।	

[फा. सं. आर.नौ.-1/2023-संगठन(कारपेंटर)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

G.S.R. 147(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section(2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Carpenter), in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Tradesmen Cadre, Assistant Sub-Inspector (Carpenter), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Competent Authority" means the appointing authority or authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(b) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(c) "SHAPE-I" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time.

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949, and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Pre-Promotional courses.- Every member of the Force in the feeder category shall be detailed to undergo qualifying promotional courses or trade test or courses, before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of his seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass promotional course or trade test or courses as specified in column (11) of the said Schedule :

Provided that if the Director General, Central Reserve Police Force is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo or qualify the required promotional course or trade test or courses, he after the reasons to be recorded in writing, may promote such member of Force, subject to passing of promotional course or trade test or courses within a period of two years, from the date of his promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

6. Seniority.- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

7. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Ineligibility of non-citizens of India.-No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

10. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and others special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Sub-Inspector (Carpenter).	*43 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Head Constable (Carpenter) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade; and (i) who having successfully completed pre-promotional course or trade test or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time; and (ii) the candidate shall be in medical category "SHAPE-I" and having good record of service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Second in Command, or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force-Co-opted -Member; 5. One member of the Force having sufficient knowledge of relevant trade –Member.	Not applicable.

[F. No. R.IX-1/2023-Org (Carpenter)]

G. PARTHASARTHI, Jt. Secy. (P-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.02.29 21:37:39 +05'30'